**राजस्थान सरकार**
**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग**
**(अनुभाग–3)**

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/2014 जयपुर, दिनांक : 2 MAR 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **वर्ष 2014–15 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर चुके परिवारों को अतिरिक्त रोजगार राज्य मद से दिये जाने के संबन्ध में।**
संदर्भः– **विभागीय पत्रांक एफ1(32)नरेगा/बजट घोषणा/2013 दिनांक 21.03.2015**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के संबन्ध में कुछ जिलों द्वारा यह जानकारी चाही गयी है कि कुछ परिवारों को पहले से ही 100 दिवस से अधिक का रोजगार दिया जा चुका है। ऐसे परिवारों को वर्तमान में रोजगार दिया जाना है अथवा नही ?

इस संबन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसा कोई भी परिवार जिसने 100 दिवस का या 100 दिवस से अधिक का रोजगार पूर्ण कर लिया है उसे भी दिनांक 21.03.2015 द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप दिनांक 31.03.2015 तक 100 दिवस से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जाना है। राज्य मद से यह अतिरिक्त रोजगार दिनांक 21.03.2015 को जारी आदेश के पश्चात ही देय है। पूर्व में यदि किसी परिवार को 100 दिवस से अधिक का रोजगार दिया गया है तो उसके व्यय का वहन इस मद से नही होगा।

वर्ष 2014–15 मे मात्र 7 दिवस का समय शेष है। इस दौरान आप, जिला कलेक्टर द्वारा चयनित आपदा प्रभावित ग्राम पंचायतों के महात्मा गांधी नरेगा के तहत पात्र प्रभावित परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं इसकी सूचना प्रतिदिन ई–मेल के जरिये pdre_rdd@yahoo.com पर दिया जाना सुनिश्चित करे।

**भवदीय**

26/3/15

**(रोहित कुमार)**
**आयुक्त, ईजीएस**

**प्रतिलिपिः**

1. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम) ईजीएस, तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस, जयपुर/ बाड़मेर।
3. कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा सह विकास अधिकारी पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
4. रक्षित पत्रावली।

**परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस**